न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.) (16)

प्रकरण संख्याः– 23/2023 दायरा दिनांक 27.07.2023

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

राजेन्द्र पुत्र चन्दालाल जाति चन्देल निवासी भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.) – अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये सहायक वन संरक्षक बारां। – रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 11.03.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत सहायक वन संरक्षक बारां के प्रकरण संख्या 1203/2022 निर्णय दिनांक 18.11.2022 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गजरोन की आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 16 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमी मानकर 1600/– रूपये जुर्माना, फसल कीमत एवं बेदखली के आदेश दिए गए हैं, साथ ही अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है । अतः उक्त निर्णय निरस्त फरमावें ।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई ।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जबकि पश्चातवर्ती अतिक्रमी के लिए पूर्व अतिक्रमण के बेदखलनामा की आश्वयकता है जो प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कारण अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट व वन पैरोकार के एकतरफा बयान को आधार मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमावें।

हमने अपीलान्ट के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार अपीलान्ट पूर्व वर्षो में भी वन विभाग की भूमि पर बार बार अतिक्रमण करता आ रहा हैं अतिक्रमी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दण्डित करते हुए बेदखली की कार्यवाही की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने बाबत पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है । निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद